क्रम-संख्या—69

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग—4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 18 मार्च, 2016
फाल्गुन 28, 1937 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
पंचायती राज अनुभाग–1

संख्या 716/33-1-2016–3197/2010
लखनऊ, 18 मार्च, 2016

अधिसूचना
प्रकीर्ण

प0आ0–194

संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग (समूह 'क' और 'ख') सेवा नियमावली, 2004 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:

उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग (समूह 'क' और 'ख') सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2015

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग (समूह 'क' और 'ख') सेवा (प्रथम संशोधन) नियमावली, 2015 कही जायेगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 3 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश पंचायत राज विभाग (समूह 'क' और 'ख') सेवा नियमावली, 2004, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, में, नियम 3 में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गये विद्यमान खण्ड (ख) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 **विद्यमान खण्ड**	स्तम्भ–2 **एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड**
(ख) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य जिला पंचायत राज अधिकारी के पद के सम्बन्ध में पंचायती राज विभाग में सरकार के सचिव और उपनिदेशक (पंचायत) और संयुक्त निदेशक (पंचायत) के सम्बन्ध में इसका तात्पर्य राज्यपाल से है;	(ख) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य राज्यपाल से है;

नियम 4 का संशोधन

3–उक्त नियमावली में, नियम 4 में नीचे स्तम्भ–1 में दिए गये विद्यमान उप-नियम (2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया उप-नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान उप-नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप-नियम
4–(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी, जितनी नीचे दी गयी है।	4–(2) जब तक कि उप–नियम(1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायें सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी नीचे दी गयी है:–

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या			अभ्युक्ति
		स्थायी	अस्थायी	योग	
1	संयुक्त निदेशक (पंचायत)	–	01	01	उपनिदेशक (पंचायत) के सात अस्थायी पद (डेपुटेशन रिज़र्व) कार्यालय ज्ञाप संख्या 1025/33–1–2003–57–81 टी0सी0–I, दिनांक 22 अप्रैल, 2003 से सृजित किये गये।
2	(क) उपनिदेशक (पंचायत)	06	10	16	
	(ख) उपनिदेशक (पंचायत) (डेपुटेशन रिज़र्व)	–	07	07	
3	जिला पंचायत राज अधिकारी	48	23	71	

परन्तुः

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा।

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

क्र. सं.	पद का नाम	पदों की संख्या			अभ्युक्ति
		स्थायी	अस्थायी	योग	
1	अपर निदेशक (पंचायत) मुख्यालय पंचायती राज, उ0प्र0 लखनऊ	–	01	01	शासनादेश संख्या–337/33–1–2015–3197/2010, दिनांक 19 मई, 2015 से सृजित
2	संयुक्त निदेशक (पंचायत)	–	01	01	
3(क)	उप निदेशक (पंचायत)	6	10	16	
3 (ख)	उप निदेशक (पंचायत) (डेपुटेशन रिज़र्व)	–	07	07	उप निदेशक (पंचायत) (डेपुटेशन रिज़र्व) के सात अस्थायी पद कार्यालय ज्ञाप संख्या–1025/33–1–2003– 57/81टी. सी.–1, दिनांक 22 अप्रैल 2003 से सृजित किये गये।
4	जिला पंचायत राज अधिकारी	48	27	75	जिला पंचायत राज अधिकारी के चार अस्थायी पद शासनादेश संख्या–3304/33–3–2011, दिनांक 22 दिसम्बर, 2011 एवं शासनादेश संख्या 2786/33–1–2010–1896/ 10, दिनांक 15 सितम्बर, 2010 से सृजित किये गये।

परन्तु यह कि:–

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा।

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

नियम 5 का प्रतिस्थापन

4–उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ–1 में दिए गये विद्यमान नियम 5 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
भर्ती का स्रोत 5–सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :–	**भर्ती का स्रोत** 5–सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :–
(1) संयुक्त निदेशक (पंचायत)–मौलिक रूप से नियुक्त उपनिदेशकों (पंचायत), जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा;	(1) अपर निदेशक (पंचायत) मुख्यालय पंचायती राज, उ0प्र0 लखनऊ–मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे संयुक्त निदेशकों (पंचायत) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में दो वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
(2) उपनिदेशक (पंचायत)–मौलिक रूप से नियुक्त जिला पंचायत राज अधिकारियों, जिन्होंने भर्ती के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा:	(2) संयुक्त निदेशक (पंचायत)–मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे उप निदेशकों (पंचायत) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
(3) जिला पंचायत राज अधिकारी–	(3) उप निदेशक (पंचायत) – मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे जिला पंचायत राज अधिकारियों में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में सात वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
(एक) पचास प्रतिशत आयोग द्वारा संचालित प्रतियोगितात्मक परीक्षा के माध्यम से, सीधी भर्ती द्वारा:	(4) जिला पंचायत राज अधिकारी–
(दो) पैंतालिस प्रतिशत, मौलिक रूप से नियुक्त सहायक विकास अधिकारियों (पंचायत सह–शिक्षा) और पंचायत निरीक्षकों (उद्योग) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा;	**(एक)** पचास प्रतिशत, आयोग द्वारा संचालित प्रतियोगितात्मक परीक्षा के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।
(तीन) पांच प्रतिशत, मौलिक रूप से नियुक्त सहायक जिला पंचायत राज अधिकारियों (तकनीकी) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।	**(दो)** तैंतालीस प्रतिशत, मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सहायक विकास अधिकारियों (पंचायत सह शिक्षा) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
	(तीन) पाँच प्रतिशत, मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे सहायक जिला पंचायत राज अधिकारियों (तकनीकी) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
	(चार) दो प्रतिशत, मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे पंचायत निरीक्षकों (उद्योग) में से, जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।